कार्यालय कलेक्टर (जिला पंचायत) राजनांदगांव

—: संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश :—

क्रमांक / 8553 / जि.पं. / MGNREGA / 2010—11 राजनांदगांव, दिनांक 27 / 11 / 2010

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजानातंर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुरिया के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन आदेश क.—1476 / जिप / MGNREGA / 2010—11 / राजनांदगांव / दिनांक 18.05.2010 के सरल क्रमांक—97 में अंकित कार्य में संशोधन कर संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है, शेष नियम व शर्तें पूर्वानुसार रहेंगें।

	पूर्व में स्वीकृत विवरण												संशोधित स्वीकृत विवरण				
क.	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार 5.1 के अनुसार	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	विकास खंड	विधान सभा	इकाई (किमी. / घ.मी. / वर्ग मी. में)	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)				प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)				कार्य एजेंसी
									अकुशल हेतु	अर्द्धकुशल हेतु	सामग्री हेतु	योग	अकुशल हेतु	अर्द्धकुशल हेतु	सामग्री हेतु	योग	
1	2	4	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	20
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुरिया																	
1	तालाब गहरीकरण एवं महिलाघाट निर्माण कार्य	5	बिजेपार	सागर	छुरिया	खुज्जी	4164	4.93	4.19	0.00	0.74	4.93	3.35	0.00	1.39	4.74	ग्राम पंचायत
	योग — 1 कार्य						4164	4.93	4.19	0.00	0.74	4.93	3.35	0.00	1.39	4.74	
	(अक्षरांक: — चार लाख तिरान्बे हजार रूपये मात्र)												(अक्षरांक: —चार लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र)				

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय द्वारा अनुमोदित)

नरेन्द्र कुमार दुग्गा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत राजनांदगांव

26/11

संलग्न : नियम व शर्तें ।

कार्य संपादन हेतु शर्तें :–

1 राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी योजना से संबंधित कार्यो के लिये मस्टर–रोल जनपद पंचायत से प्राप्त किया जावें एवं संबंधित मस्टर–रोल में श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने के पश्चात मस्टर–रोल की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से प्रदान कर पावती प्राप

2 कार्य का मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह नियमित रूप से प्रत्येक माह की 25 तारीख तक भेजा जावें ।

3 किसी भी स्थिति में स्वीकृत कार्यो में ठेकेदारी प्रथा एवं मशीनों का उपयोग न किया जावें ।

4 योजना के निर्माण में मजदूरी घटक कम से कम 60 प्रतिशत एवं सामग्री घटक 40 प्रतिशत से अधिक न हो ।

5 शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मेन्युवल में प्रसारित निर्देशों के अनुरूप ही कार्य होगें ।

6 कार्य पूर्ण होते ही पूर्णता तिथि से अवगत कराया जावें तथा पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करेंगे । प्रत्येक कार्य के पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग कमेटी का सत्यापन रिपोर्ट भी अनिवार्य रूप से प्र

7 प्रतिदिन श्रमिक प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेजा जावें।

8 कार्य प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति में दशाए मापदंडों व ड्राईग के अनुरूप ही होना चाहिये । तकनीकी स्वीकृति दिये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होगें ।

9 कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की राशि की सीमा में पूर्ण कर लिया जाना चाहिये । किसी भी स्थिति में प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक राशि व्यय न किया जावें ।

10 स्वीकृत कार्य स्थल पर विहित प्रारूप में सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जावें।

11 कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य किसी अन्य मद से स्वीकृत तो नहीं हैं। यदि स्वीकृत हो तो तत्काल अवगत करावें ।

12 स्वीकृत कार्य शासकीय भूमि में ही कराई जावें ।

13 स्वीकृत कार्य में नक्शा, खसरा, ग्राम सभा/ग्राग पंचायत का प्रस्ताव संलग्न नहीं है तो संलग्न कर लिया जावें तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भेजा जावें।

14 श्रमिकों को सुविधा देने की जिम्मेदारी संबंधित कार्य एजेंसी की होगी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जारी रोजगार कार्ड में स्वीकृत कार्य में कर्यरत मजदूरों को प्रदत्त मजदूरी भुगतान अनिवार्य रूप से भरा जावें ।

15 कार्य में केवल योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को लगाया जावें । अ.जा./अ.ज.जा. एवं महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दिया जावें ।

17 निर्माण एजेंसी यह सुनिश्चित करें की वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन किसी भी स्थिति में न हो ।

18 कार्य स्थल पर पक्का पारिश्रमिक पत्रक अव''य रखें ताकि निगरानी समिति, जनप्रतिनिधि एवं कार्य निरीशण करने वाले अधिकारी अवलोकन कर सकें।

19 कार्य स्थल पर छाया, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा(फर्स्ट एड बॉक्स), झूले आदि की व्यपस्था अनिवार्य रूप से की जाय।

20 स्वीकृत कार्य का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रगति पर एवं कार्य पूर्ण होने पर (तीन स्तर पर) फाटोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जावें।

21 कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं आश्रित ग्रामों में कार्य प्रारंभ होने की तिथी के संबंध में मुनादी करावें तथा मुनादी होने का प्रमाण–पत्र नस्ती में सुरक्षित रखें।

22 प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य जो जिला राजनांदगांव के अन्तर्गत आता हैं । उनकी स्वीकृति प्रदान की गई हैं । अतः जिले के क्षेत्रान्तर्गत ये कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें ।

23 संबंधित पंचायतों/एजेंसियों को पूर्व में दिये गये अब तक की पूरी राशि का एम.आई.एस.एन्ट्री कराने के पश्चात ही नया कार्य प्रारंभ कराया जावे ।

24 कार्य की मांग, पूर्व में स्वीकृत कार्य की प्रगति एवं आबंटित राशि को ध्यान में रखकर ही कार्य कियान्वित किया जावे ।

25 किसी भी स्थिति में पंजीकृत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस से अधिक रोजगार उपलब्ध न कराया जावे

26 मजदूरी भुगतान संबंधित को खातों के द्वारा बैंक/डाकघर के माध्यम से किया जावे ।

27 रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसार ही कार्य कियान्वित किया जावे, अवहेलना की स्थिति में संबंधित कियान्वयन एजेंसी जिम्मेदार होंगे ।

28 पथ किनारे वृक्षारोपण कराये जाने के पूर्व मार्ग के संभावित एवं प्रस्तावित चौड़ीकरण का विशेष ध्यान रखा जावे, ताकि चौड़ीकरण की स्थिति में पौधों को क्षति न हो ।

29 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (वृक्षारोपण रख–रखाव) हेतु स्वीकृति राशि तभी प्रदान की जावेगी जब विभाग द्वारा जीवित पौधों की संख्या एवं नियोजित मजदूरों की जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी ।

30 कार्य पर लगने वाले सामग्री का कय विभाग में प्रचलित नियमों का पालन करते हुए कय किया जावें।

31 कार्य .... तक अनिवार्यतः पूर्ण कराया जावे।

कमशः– 3......